

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 76/2018

RCMS Case No. 2018/00100

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार रायपुर	जरिये तहसीलदार	किशना पुत्र मोती के का०मु० 1. दलाराम पुत्र किशना 2. पांचाराम पुत्र मांगीलाल 3. कमला पत्नी मांगीलाल 4. दमा पुत्र मोती के का०मु० धर्मराम पुत्र दमा 5. पना पुत्र मोती के का०मु० 5.1 जीवाराम पुत्र पना 5.2 भीकाराम पुत्र पना जातिगण सिरवी निवासीगण मेसिया तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक - 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाटजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर आदेश पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मेसिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 678/544 रकबा 2.00 बीघा किस्म बा०अ० की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज किशना, दमा एवं मोती को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 207 के राजस्व रेकॉर्ड में आवंटी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै०मु० नदी थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम मेसिया के नामान्तरकरण संख्या 207 एवं इसकी निरन्तरता में दायर नामान्तरकरण संख्या 415 एवं 1008 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के रमक्ष रेफरेन्स कराया जावे।


बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम मेसिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 678/544 रकबा 2.00 बीघा किस्म बा०अ० की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 544 कि किस्म गै०मु० नदी है। उक्त भूमि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 207 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 544 की किस्म गै०मु० नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन आदेश क्रमांक/58 दिनांक 26.04.1976 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम मेसिया तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 207 एवं इसकी निरन्तरता में दायर नामान्तरकरण संख्या 415 एवं 1008 को निरस्त करावे।




अति.जिला कलेक्टर, पाली